प्रेस नोट

जालसाजी और धोखाधड़ी की आरोपी है विधायक पर आरोप लगाने वाली महिला और उसका पति

*वायरल वीडियो का मामला

सुल्तानपुर। सोमवार की रात से तेजी से वायरल हो रहे वीडियो के बारे में सुल्तानपुर विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने कहा कि जिस महिला ने मेरे ऊपर चारित्रिक आरोप लगाए हैं, वह पूरी तरह से तथ्यहीन और मनगढ़ंत है। अलबत्ता उसके पति ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। इस मामले में मैने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। अब दोनों गिरफ्तारी से बचने लिए महिला अनर्गल आरोप लगा रही है।

ये है पूरा मामला

विधायक ने बताया कि कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के बेलासदा निवासी शशांक पांडेय और उसकी पत्नी सोनिया उर्फ सोनी पांडेय मेरे लखनऊ स्थित अपार्टमेंट के ऊपर सातवीं मंजिल पर किराए के फ्लैट में रहते थे। मेरे विधानसभा क्षेत्र के निवासी होने के कारण शशांक ने मुझसे मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरा भाई आईएएस अधिकारी है और पीएमओ में पोस्ट हैं। केंद्रीय भंडारण निगम के चेयरमैन आशुतोष अग्निहोत्रि को उन्होंने ही पोस्ट कराया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एफसीआई की गोदाम दिलवा सकता हूं। वेयरहाउस निर्माण के लिए कुछ कागजात मुझसे तैयार करवाए। जब कई महीने बीत गए और वेयर हाउस के लिए कोई पेपर नहीं दिया तो कई बार कहने के बाद एक दिन शशांक ने मुझे मेरे व्हाट्सअप्प पर केंद्रीय भंडारण निगम के लेटर हेड पर अनापत्ति प्रमाणपत्र भेजा और कहा कि इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने होंगे। तब मुझे शंका हुई और प्रथम दृष्टया वो पत्र मुझे फर्जी लगा, जब इसकी तहकीकात मैंने निगम के दिल्ली कार्यालय से कराई तो पत्र फर्जी निकला। इस बारे में जब मैने पूछताछ करना चाहा तो शशांक और उसकी पत्नी सोनी उर्फ सोनिया पांडेय ने अपना फोन बंद कर लिया और अपार्टमेंट छोड़कर भाग गए। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने हजरतगंज कोतवाली में दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 336(2) के तहत अपराध पंजीकृत करा दिया।

हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका, अब गिरफ्तारी का डर

विधायक विनोद सिंह ने बताया कि शशांक ने एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली। उच्च न्यायालय ने याचिका को रद्द करते हुए विवेचक के पास जाने को कहा। विधायक ने कहा कि अब गिरफ्तारी से बचने के लिए शशांक पांडेय ने अपनी पत्नी सोनी उर्फ सोनिया को आगे करके मेरे ऊपर चारित्रिक आरोप लगाना शुरू कर दिया है। जो कि पूरी तरह बेबुनियाद और अनर्गल है। मुझे न्याय पालिका पर पूरा भरोसा है।

सात साल की है सजा

दोनों आरोपियों पर बीएनएस की धारा 318(4) और 336(2) के तहत मुकदमा दर्ज है। इन धाराओं में सात साल की सजा का प्राविधान है।

Vih.

लखनऊ व स्थायी पता-कमला नेहरू कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर, सुल्तानपुर का निवासी हूँ। मेरी मुलाकात शशांक पाण्डेय पुत्र श्री श्रवण कुमार पाण्डेय, निवासी-मनं0-1796, चोपड़ा गली, खैराबाद, थाना कोतवाली नगर, जनपद-सुल्तानपुर से हुई, जो मेरे लखनऊ निवास के हेरिटेज अपार्टमेण्ट में सातवें तल पर फ्लैट सं0-7003 में किरायेदार के रूप में अपने परिवार के साथ रहता था। जनपद-सुल्तानपुर का निवासी होने के कारण शशांक पाण्डेय से पारिवारिक सम्बन्ध बन गया। शशांक पाण्डेय ने मुझें अवगत कराया कि दिल्ली में मेरे भाई आईएएस हैं और पीएमओ में हैं। इन्होने ही वर्तमान केन्दीय भण्डारण निगम के चेयरमैन श्री आशुतोष अग्निहोत्री को अपनी पैरवी से चेयरमैन बनवाया है। केन्दीय भण्डारण निगम (C. W.C.) से ही रेलवे गुड्स गोदाम, वाइन गोदाम, औषधि भण्डारण गोदाम व एफसीआई के गोदामों की स्वीकृति होती है। उसने यह विश्वास दिलाया कि यह कार्य मिनटों में अविलम्ब संभव हो जायेगा। मेरे जनपद का होने व पारिवारिक सम्बन्ध होने के कारण मेरा विश्वास भी शशांक पाण्डेय पर बढ़ गया। मैं, भी इसके प्रस्ताव के झांसे में आ गया। तदोपरान्त शशांक पाण्डेय ने आवेदन हेतु एक आवेदन पत्र तैयार कराया तथा उसको केन्दीय भण्डारण निगम (C.W.C.) दिल्ली में जमा कराने की बात कही। कुछ समय बाद शशांक पाण्डेय ने मुझें अवगत कराया कि एक सिस्टम है जिसमें वेयरहाउस के निर्माण की स्वीकृति हेतु पैसा देना पड़ता है। पैसा सीधे मेरे आईएएस भाई के यहां जाता है फिर वे चेयरमैन से बातचीत कर स्वीकृत करा देते हैं। चार-पांच माह बीत जाने के बाद मेरे मन में शंका के बादल उमड़ने लगे, शशांक पाण्डेय ने मुझे बार-बार आश्वासन देता रहा और कुछ न कुछ प्रशासनिक व्यतिक्रम बताकर मामले को टालता रहा । मैंने एक दिन इससे कहा कि मुझें सीडब्लूसी के चेयरमैन श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी से मिलना है। आप टाईम ले लीजिए, पाण्डेय ने मुझसें कहा कि वे किसी से मिलते नही है। इस पर मेरा शक और गहरा हो गया । मैंने अपने दिए गए पैसों को लौटाने के लिए कहा। शशांक पाण्डेय ने 02 जून, 2026 को मेरे वाट्सअप पर एक सीडब्लूसी के लेटरपैड पर अनापत्ति पत्र भेजा। पत्र पढ़ने के बाद उस पत्र की वैधता पर मुझें शक हुआ। मैंने अपने मित्र श्री अरविन्द सिंह को केन्दीय भण्डारण निगम (C,W.C.) के कारपोरेट आफिस-4/1, सीरी इंस्टीट्यूश्नल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली के पते पर भेजकर उस पत्र की वैधता की जानकारी चाही । श्री अरविन्द सिंह ने दिनांक 03 जून, 2026 शाम 4:19 बजे केन्दीय भण्डारण निगम के डीजीएम श्री अभिकादियान जिनका मोबाइल नं0-8187000009 है, से मुलाकात की। जब शशांक पाण्डेय व उनकी पत्नी सोनिया पाण्डेय द्वारा प्रदत्त पत्र उन्होंने देखा तो कहा कि आपके साथ किसी ने चीटिंग एवं धोखाधड़ी की है तथा फर्जी कूटरचित पत्र दिया है। केन्दीय भण्डारण निगम इस तरह के पत्र निर्गत नही करता। मैंने तुरन्त शशांक पाण्डेय व उसकी पत्नी को बताया कि आप लोगों के द्वारा दिया गया पत्र फर्जी और कूटरचित है। मेरे पैसे व गबन, मेरे साथ धोखाधड़ी आपके द्वारा किया गया है, इसलिए मेरे पैसे दो दिन में वापस कीजिए। ऐसा कहकर मैं सुल्तानपुर चला आया। दो दिन बाद जब मैं अपने लखनऊ आवास

हेरिटेज अपार्टमेण्ट वापस आया और शशांक पाण्डेय के बारे में पता किया तो मेरे सहायको एवं सोसायटी के गार्डस ने बताया कि वह परिवार सहित कही अन्यत्र चले गए हैं। इस तरह विश्वास का गला घोंटकर, जानबूझकर, कूटरचित तरीके से सीडब्लूसी का फर्जी एनओसी प्रपत्र तैयार करके देना, मेरे द्वारा दिए गए धन का गबन करना एवं मेरे साथ धोखाधड़ी एवं विश्वासघात शशांक पाण्डेय व सोनिया पाण्डेय द्वारा किया गया है। बातचीत की रिकार्डिंग की पेनड्राइव दाखिल कर रहा हूँ। कृपया एफआईआर दर्ज कर उचित कार्यवाही की जाए। शशांक पाण्डेय से दिसम्बर माह 2025 से लेकर मई, 2026 तक के समस्त मोबाइल वार्ता के वॉयस रिकार्डिंग सुलभ अवलोकनार्थ संलग्न कर रहा हूँ। संलग्नक : 1 01 अदद पेनड्राइव 16 जीबी मय वॉयस रिकार्डिंग के साथ। 2 सीडब्लूसी के लेटरपैड पर अनापत्ति पत्र जो शशांक पाण्डेय व सोनिया पाण्डेय ने वाट्सअप पर भेजा। 3 केन्द्रीय भण्डारण निगम, वेयरहाउस कारपोरेशन विजिटर पास की छायाप्रति। 4 केन्द्रीय भण्डारण वेयरहाउस कारपोरेशन कार्यालय का पता की छायाप्रति। दिनांक : प्रार्थी हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठनीय (विनोद सिंह) पूर्व मंत्री एवं विधायक पता-फ्लैट नं0-4001, हेरिटेज अपार्टमेण्ट 5 पार्क रोड, थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ (उप्र)। मो0-9695657777 जिस पर पृष्ठांकित आदेश श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय Hm दर्ज करें। हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठनीय दिनांकित 10/7 नोट- मुकदमे की कायमी व नकल तहरीर अक्षरशः मुझ म0का0 808 साक्षी कश्यप द्वारा सिवाय तकनीकी त्रुटि के कम्प्यूटरीकृत चिक किता की गयी है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. **2** में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) **Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** IRFAN AHEMAD **Rank (पद):** SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 152630979 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)** or (या)

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): लखनऊ मध्य (कमिश्नरेट लखनऊ)

P.S. (थाना): हज़रतगंज   Year (वर्ष): 2026

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0147

Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 10/07/2026 23:32

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(2)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन):   Date From (दिनांक से):   Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि):   Time From (समय से):   Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 10/07/2026   Time (समय):23:32 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 099   Date & Time (दिनांक और समय): 10/07/2026 23:32 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name Vikram Singh
Rank I (Inspector)
No. 012250282

5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): विनोद सिंह पूर्व मंत्री एवं विधायक

(b) Father's Name (पिता का नाम) : स्व0 केदारनाथ सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1978

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	कमला नेहरू कृषि विज्ञान ,केन्द्र परिसर,सुल्तानपुर,सुल्तानपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	फ्लैट नं0- 4001,हेरिटेज अपार्टमेन्ट, 5 पार्क रोड,थाना हजरतगंज

2	स्थायी पता	,लखनऊ ,लखनऊ मध्य (कमिश्नरेट लखनऊ),उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9695657777

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	शशांक पाण्डेय		पिता का नाम : श्री श्रवण कुमार पाण्डेय	1. म0नं0- 1796,चोपड़ा गली, खैराबाद थाना कोतवाली नगर , जनपद सुल्तानपुर ,सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश,भारत
2	सोनिया पाण्डेय		पति का नाम : शशांक पाण्डेय	1. अज्ञात,अज्ञात

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी टाईपशुदा............................सेवा में, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हजरतगंज जनपद-लखनऊ (उप्र)। महोदय, मैं विनोद सिंह पुत्र स्व केदारनाथ सिंह, अस्थायी पता-फ्लैट नं0-4001, हेरिटेज अपार्टमेण्ट, 5 पार्क रोड, थाना-हजरतगंज,